न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा।

विविध वाद सं0—82/2018—19

कारू सिंह वगै0 बनाम नथुन महतो

आदेश की क्रम एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
07/07/2022	आवेदक कारू सिंह, पिता—स्व0 उमेश सिंह, रामलखन सिंह, पिता—स्व0 सदा शिव सिंह उर्फ सदासी सिंह, मौजा—बरहपुर, खाता संख्या—05 एवं 14 की भूमि का जमाबंदी नियमित करते हुए सरकारी मालगुजारी रसीद निर्गत करने हेतु अधिवक्ता के माध्यम से यह वाद दायर किया गया है। तद्नुसार यह वाद न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा में प्रारम्भ किया गया। उपरोक्त वाद की सुनवाई हेतु न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा द्वारा संबंधित पक्षों को मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, हण्टरगंज से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई। प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष द्वारा अपने—अपने पक्ष में लिखित कथन समर्पित किया गया। आवेदकगण के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा आवेदक रामलखन सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण उनके पुत्र सुनील सिंह एवं संजय सिंह को पक्षकार बनाने हेतु अनुरोध किया गया है। **प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि—**''यह कि आवेदकगण की जमीन साकिन—बरहपुर, थाना—हण्टरंज, जिला—चतरा के अंदर खाता संख्या—05, प्लॉट संख्या—426, रकवा—93 डी0, प्लॉट संख्या—427, रकवा—01 डी0, प्लॉट संख्या—437, रकवा—10 डी0 कुल रकवा—24 डी0 जमीन उरफी केवाला दिनांक—03.01.1939 ई0 में खुटवारी भुईयां	

से प्राप्त की गई जमीन है। यह कि उपरोक्त कथित जमीन आवेदकगण के दादा मथुरी सिंह एवं जानकी सिंह के नाम से खरीदगी जमीन है तथा खाता संख्या–14, प्लॉट संख्या–236, रकवा–14 डी0, प्लॉट संख्या–237, रकवा–02 डी0 जमीन, साकिन–मौजा–बरहपुर, थाना–हण्टरगंज, जिला–चतरा की जमीन आवेदकगण के दादा मथुरी सिंह वो जानकी सिंह के नाम से सरकारी केवाला दिनांक–19.05.1938 ई0 सुखलाल भुईयां से खरीद की गई जमीन है। यह कि उपरोक्त वर्णित खरीदगी जमीन पर आवेदक के दादा मथुरी सिह वो जानकी सिंह शांति पूर्वक काबिज दखलकार हुए तथा फसल लगाकर अपने मशरफ में लाते रहे। यह कि आवेदक के दादा जानकी सिंह वो मथुरी सिंह से जमीन्दारी को लगान देकर जमीन्दारी रसीद निर्गत कराते रहे। यह कि जानकी सिंह तथा मथुरी सिंह उपरोक्त वर्णित खरीदगी जमीन पर शांति पूर्वक काबिज दखलकार रहे। यह कि मथुरी सिह की मृत्यु संयुक्त परिवार में हुई, जो अपने जायज वारिसान के रूप में सवारी सिह एवं चन्दन सिंह की मृत्यु नावल्द हो गई। सवासी सिंह अपने संयुक्त परिवार कर्ता–धर्ता थे तथा जानकी सिंह की भी मृत्यु संयुक्त परिवार में हो गई, जो जायज वारिसान के रूप में एक मात्र पुत्र महेश सिंह को छोड़कर मरे, उपरोक्त लोग अपने जीवन काल तक उपरोक्त वर्णित जमीन पर शांति पूर्वक काबिज दखलकार हुए। यह कि सवारी सिंह अपने सभी भाईयों में सबसे बड़े भाई थे तथा संयुक्त परिवार का कर्ता–धर्ता थे। यह कि सवारी सिंह जमीन्दारी उन्मूलन के बाद खाता संख्या–05 एवं 14 की खरीदगी जमीन का डिमाण्ड अपने नाम से खुलवाकर संयुक्त रूप से सरकार को लगान देकर अपने नाम से रसीद निर्गत कराते रहे, परन्तु उपरोक्त वर्णित खरीदगी जमीन पर संयुक्त रूप से काबिज दखलकार रहे तथा 2014 ई0 तक उपरोक्त

वर्णित जमीन का सरकार को लगान देकर सरकारी मालगुजारी रसीद निर्गत कराते रहे। यह कि आवेदक संख्या–02 ने अपने हिस्से वाली जमीन को खाता नं0–58, प्लॉट संख्या–88, रकवा–11 डी0 जमीन दिनांक–29.05.1989 को नथुन महतो, पिता–नवल महतो के नाम निबंधित केवाला के द्वारा बिक्री कर दिया तथा मुंगेश्वर सिंह पिता–जगमोहन सिंह के द्वारा दिनांक–31.10.1988 ई0 को निबंधित केवाला के माध्यम से खाता संख्या–58, प्लॉट नं0–88,162,272,344 एवं 256 कुल रकवा–41 डी0 जमीन बिक्री नथुन महतो के नाम से कर दिया। यह कि विपक्षी नथुन महतो ने दिनांक–24.09.2009 को दाखिल खारीज हेतु आवेदन विद्वान अंचल अधिकारी, हण्टरगंज के कार्यालय में दाखिल किया, जिस पर भू–राजस्व कर्मचारी ने अपना जांच प्रतिवेदन समर्पित किया। यह कि विद्वान अंचल अधिकारी, हण्टरगंज ने गलत ढंग से खाता संख्या–05 एवं 14 की जमीन की जमाबंदी से उपरोक्त वर्णित जमीन को घटा दिया, जिस कारण से खाता नं0–05 एवं 14 की जमाबंदी में दर्शायी गई रकवा शुन्य हो गया तथा आवेदकगण के द्वारा उपरोक्त कथित जमीन का सरकारी मालगुजारी रसीद निर्गत नहीं हो सका। यह कि विद्वान अंचल अधिकारी, हण्टरगंज के द्वारा गलत ढंग से खाता नं0–14 की जमाबंदी घटाया है, जिसे निरस्त करने हेतु श्रीमान् के न्यायालय में वर्तमान आवेदन दाखिल किया जा रहा है। यह कि न्यायहित में खाता संख्या–05 एवं 14, साकिन मौजा–बरहपुर, थाना–हण्टरगंज, जिला–चतरा की भूमि का जमाबंदी को मुक्त करते हुए सरकारी मालगुजारी रसीद निर्गत करने हेतु उचित आदेश पारित करने की कृपा किया जाय। आवेदकगण के विज्ञ अधिवक्ता ने खाता संख्या–05 एवं 14 की जमीन की जमाबंदी को नियमित करते हुए सरकारी मालगुजारी रसीद निर्गत करने हेतु उचित

आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।''

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि–''यह है कि वर्तमान में विपक्षी के विरूद्ध दायर विविध वाद पोषणीय नहीं है तथा खारिज करने के योग्य है। यह है कि इस विविध वाद आवेदन में मेरिट नहीं है तथा खारिज करने के योग्य है। यह है कि वर्तमान आवेदक के द्वारा दायर विविध वाद समय सीमा से बाधित है तथा खारिज करने के योग्य है। यह है कि यह विविध वाद आवेदक के द्वारा फर्जी एवं बनावटी तथ्यों के आधार पर दाखिल किया गया है। इस वाद से संबंधित तथ्य है कि कथित मुंगेश्वर सिंह, पिता–जगमोहन सिंह द्वारा मौजा–बरहपुर, खाता संख्या–58, रकवा–421/2 डी0 भूमि, थाना–हण्टरगंज, जिला–चतरा, निबंधित सेल डीड संख्या–4836, दिनांक–31.10.1988 के माध्यम से नथुन महतो को बिक्री किया गया। यह है कि खरीदगी भूमि का दाखिल खारिज हेतु अंचल अधिकारी, हण्टरगंज के समक्ष आवेदन समर्पित किया गया। उसके बाद अंचल अधिकारी, हण्टरगंज के द्वारा जांच प्रतिवेदन की मांग की गई। जांच प्रतिवेदन एवं सभी प्रक्रिया अपनाने के बाद अचंल अधिकारी के द्वारा दाखिल खारिज नथुन महतो के नाम से स्वीकृत किया गया। यह है कि आवेदक का विविध वाद आवेदन के अवलोकन से यह स्पष्ट पता नहीं चल रहा है कि किस आदेश के विरूद्ध यह आवेदन दायर किया गया है, इस प्रकार यह वाद खारिज करने के योग्य है। यह है कि आवेदक को यह वाद दायर करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि उर्फी केवाला दिनांक–03.01.1939 के नाम से कोई जमाबंदी कायम नहीं किया गया है। इस प्रकार यह कथित केवाला सादा है, साक्ष्य के रूप में मान्य नहीं है। यह है कि विविध आवेदन में अंकित बिन्दु से कथित खुंटवारी

भुईयां को खाता संख्या–05 की भूमि कैसे प्राप्त है, यह स्पष्ट नहीं है। यह है कि आवेदक के द्वारा बिना आवश्यकता के ही विपक्षी को इस वाद में पक्षकार बनाया है। यह है कि सवारी सिंह के नाम से कोई भी जमाबंदी खाता संख्या–05 एवं 14 के संदर्भ में कायम नहीं की गई है। यह है कि आवेकद का विविध वाद आवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदक के पूर्वजों के द्वारा हरिजन जाति को भूमि हस्तांतरण किया गया है जो सी0एन0टी0, एक्ट 1909 का उल्लंघन है। यह है कि विपक्षीगण का खाता संख्या–58 पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। यह है कि राजस्व न्यायालय को सिविल कोर्ट की तरह राईट, टाईटल, एवं इन्ट्रेस्ट एवं पोसेसन के संबंध में निर्णय देने क्षेत्राधिकार नहीं है। यह है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित है कि जमाबंदी कायम हो कर कई वर्षो तक लगान लेने से आवेदक का महत्पूर्ण अधिकार बनता है।'' द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा प्रथम पक्ष द्वारा विविध वाद को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अचंल अधिकारी, हण्टरगंज से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदति किया गया है कि– ''मौजा–बरहपुर, थाना संख्या–67, के खाता संख्या–05, प्लॉट संख्या–426, रकवा–0.13 एकड़ वो प्लॉट संख्या–427, रकबा–0.01 एकड़ एवं प्लॉट संख्या–437, रकबा–0.10 एकड़ कुल रकवा–0.24 एकड़ भूमि सर्वे खतियान के अनुसार सुखारी भुईयां के नाम से बेलगान दर्ज है तथा खाता संख्या–14, प्लॉट संख्या–236, रकवा–0.14 एकड़ वो प्लॉट संख्या–237, रकवा–0.02 एकड़ कुल रकवा–0.16 एकड़ भूमि सर्वे खतियान के अनुसार सुखलाल भुईयां के नाम से बेलगान दर्ज है। मौजा–बरहपुर, थाना संख्या–67, के खाता संख्या–05 और 14 कुल रकवा–0.52 एकड़ भूमि ऑफलाईन

रसीद के अनुसार सदासी सिंह वगैरह के नाम से वर्ष 2012–13 तक निर्गत है। वर्तमान में ऑनलाईन जमाबंदी में यह जमाबंदी दिखाई नहीं पड़ता है। केवाला संख्या–2732, दिनांक–19.05.1989 द्वारा नथुन महतो, पिता–नवल महतो को खाता संख्या–58, प्लॉट संख्या–88, रकवा–0.11 एकड़ तथा केवाला संख्या–4836, दिनांक–31.10.1988 द्वारा खाता संख्या–58, प्लॉट संख्या–88, रकवा–0.11 एकड़ वो प्लॉट संख्या–162, रकवा–0.08 एकड़ वो प्लॉट संख्या–272, रकवा–0.06 1/2 एकड़ वो प्लॉट संख्या–344, रकवा–0.05 एकड़ वो प्लॉट संख्या–256, रकवा–0.12 एकड़ कुल रकवा–0.42 1/2 एकड़ प्राप्त है। विक्रेता के रूप में रामलखन सिंह, पिता–सदाशिव सिंह तथा दुसरे केवाला में मुंगेश्वर सिंह, पिता–जगमोहन सिंह साकिन–डाटम दर्ज है। वर्तमान समय में इस भूमि की जमाबंदी ऑनलाईन पंजी 2 में 62/2 पर तथा 63/2 पर नथुन महतो, पिता–नवल महतो के नाम से कायम है। खाता संख्या–58 की ऑनलाईन जमाबंदी विक्रेता के चाचा एवं पिता–सदासी सिंह के नाम में वर्तमान ऑनलाईन पंजी 2 के पृष्ठ संख्या–112/1 पर दर्ज है जिसमें खाता संख्या–58, कुल रकवा–0.000 (शून्य) दिखाई पड़ता है। वर्तमान में ऑफलाईन की मूल पंजी 2 सरकारी आदेशानुसार जिला अभिलेखागार कार्यालय, चतरा में जमा कर दिया गया है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा उपरोक्त वर्णित जांच प्रतिवेदन के अनुसार मौजा–बरहपुर, थाना संख्या–67, खाता संख्या–05 एवं 14 कुल रकवा–0.52 एकड़ भूमि सर्वे खतियान के अनुसार सुखलाल भुईयां के नाम से बेलगान दर्ज है एवं ऑफलाईन रसीद के अनुसार सदासी सिंह वगैरह के नाम से वर्ष 2012–13 तक लगान रसीद निर्गत है, जबकि ऑनलाईन जमाबंदी में यह दिखाई नहीं पड़ता है। उपर वर्णित केवाला संख्या के माध्यम से खाता संख्या–58

में कुल रकवा–0.42 1/2 एकड़ भूमि नथुन महतो, पिता–नवल महतो को विक्रेता रामलखन सिंह, पिता–सदाशिव सिंह एवं मुंगेश्वर सिंह, पिता–जगमोहन सिंह साकिन–डाटम से प्राप्त है। प्रश्नगत भूमि पर क्रेता नथुन महतो, पिता–नवल महतो का दखल कब्जा है।''

उपरोक्त उभय पक्षों के द्वारा समर्पित लिखित कथन, समर्पित कागजात, अंचल अधिकारी, हण्टरगंज से प्राप्त जांच प्रतिवेदन तथा अभिलेख में उपलब्ध अन्य कागजातों के आधार निम्नांकित बिन्दु परिलक्षित होते है :–

1. खतियानी भूमि का मामला
2. केवाला से भूमि प्राप्त होने का दावा
3. ऑनलाईन जमाबंदी प्रदर्शित नहीं होने का मामला

➡ **1. खतियानी भूमि का मामला** :– प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने अपने लिखित आवेदन में उल्लेखित किया है कि–''आवेदकगण निवेदन करता है कि खाता सख्या–05, एवं 14 की जमीन की जमाबंदी को नियमित करते हुए सरकारी मालगुजारी रसीद निर्गत करने हेतु उचित आदेश पारित किया जाय।'' साथ ही साथ **अचंल अधिकारी, हण्टरगंज से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदति किया गया है कि**– ''मौजा–बरहपुर, थाना संख्या–67, के **खाता संख्या–05,** प्लॉट संख्या–426, रकवा–0.13 एकड़ वो प्लॉट संख्या–427, रकबा–0.01 एकड़ एवं प्लॉट संख्या–437, रकबा–0.10 एकड़ कुल रकवा– 0.24 एकड़ भूमि **सर्वे खतियान के अनुसार सुखारी भुईयां के नाम से बेलगान दर्ज है** तथा **खाता संख्या–14,** प्लॉट संख्या–236, रकवा–0.14 एकड़ वो प्लॉट संख्या–237, रकवा–0.02 एकड़ कुल रकवा–0.16 एकड़ भूमि **सर्वे खतियान के अनुसार सुखलाल भुईयां के नाम से बेलगान दर्ज है।**

➡ **2. केवाला से भूमि प्राप्त होने का दावा** :– **प्रथम पक्ष के**

विज्ञ अधिवक्ता ने अपने लिखित आवेदन में उल्लेखित किया है कि- ''आवेदकगण की जमीन साकिन-बरहपुर, थाना-हण्टरगंज, जिला-चतरा के अंदर **खाता संख्या-05,** प्लॉट संख्या-426, रकवा-93 डी0, प्लॉट संख्या-427, रकवा-01 डी0, प्लॉट संख्या-437, रकवा-10 डी0 कुल रकवा-24 डी0 जमीन **उरफी केवाला दिनांक-03.01.1939 ई0 में खुटवारी भुईयां से प्राप्त की गई जमीन है।** यह कि उपरोक्त कथित जमीन आवेदकगण के दादा मथुरी सिंह एवं जानकी सिंह के नाम से खरीदगी जमीन है तथा **खाता संख्या-14,** प्लॉट संख्या-236, रकवा-14 डी0, प्लॉट संख्या-237, रकवा-02 डी0 जमीन, साकिन-मौजा-बरहपुर, थाना-हण्टरगंज, जिला-चतरा की जमीन **आवेदकगण के दादा मथुरी सिंह वो जानकी सिंह के नाम से सरकारी केवाला दिनांक-19.05.1938 ई0 सुखलाल भुईयां से खरीद की गई जमीन है।''**

➡ 3. <u>ऑनलाईन जमाबंदी प्रदर्शित नहीं होने का मामला</u> :-

अचंल अधिकारी, हण्टरगंज से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदति किया गया है कि- ''मौजा-बरहपुर, थाना संख्या-67, के **खाता संख्या-05**, प्लॉट संख्या-426, रकवा-0.13 एकड़ वो प्लॉट संख्या-427, रकबा-0.01 एकड़ एवं प्लॉट संख्या-437, रकबा-0.10 एकड़ कुल रकवा-0.24 एकड़ भूमि सर्वे खतियान के अनुसार सुखारी भुईयां के नाम से बेलगान दर्ज है तथा **खाता संख्या-14,** प्लॉट संख्या-236, रकवा-0.14 एकड़ वो प्लॉट संख्या-237, रकवा-0.02 एकड़ कुल रकवा-0.16 एकड़ भूमि सर्वे खतियान के अनुसार सुखलाल भुईयां के नाम से बेलगान दर्ज है। मौजा-बरहपुर, थाना संख्या-67, के खाता संख्या-05 और 14 कुल रकवा-0.52 एकड़ भूमि ऑफलाईन रसीद के अुनसार सदासी सिंह वगैरह के नाम से वर्ष 2012-13 तक

निर्गत है। **वर्तमान में ऑनलाईन जमाबंदी में यह जमाबंदी दिखाई नहीं पड़ता है।**

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में पता चलता है कि खाता संख्या 05 एवं 14 के संदर्भ में ऑनलाईन जमाबंदी इन्द्राज नहीं है जबकि सदासी सिंह वगै0 (आवेदक रामलखन सिंह के पिता सदासी सिंह है) के नाम से मौजा–बरहपुर, थाना संख्या–67, के खाता संख्या–05 और 14 कुल रकवा–0.52 एकड़ भूमि ऑफलाईन रसीद के अनुसार सदासी सिंह वगैरह के नाम से वर्ष 2012–13 तक निर्गत है।

वाद से संबंधित महत्वपूर्ण विचारणीय बिन्दुः–

➢ प्रथम पक्ष के द्वारा खाता संख्या–05 एवं 14 से संबंधित ऑफलाईन लगान रसीद की छायाप्रति समर्पित किया गया है। संबंधित लगान रसीद के अवलोकन से प्रतीत होता है कि खाता संख्या–05, 14 रकवा–0.52 डी0 भूमि का लगान रसीद पेज सख्या–112/I पर निर्गत हुआ हैं।

➢ अंचल अधिकारी, हंटरगंज से प्राप्त प्रतिवेदन में अंकित है कि–''खाता संख्या–58 की ऑनलाईन जमाबंदी विक्रेता के चाचा एवं पिता–सदासी सिंह के नाम में वर्तमान ऑनलाईन पंजी 2 के पृष्ठ संख्या–112/1 पर दर्ज है जिसमें खाता संख्या–58, कुल रकवा–0.000 (शून्य) दिखाई पड़ता है।''

➢ अंचल अधिकारी, हंटरगंज से प्राप्त प्रतिवेदन में अंकित है कि–''केवाला संख्या–2732, दिनांक–19.05.1989 द्वारा नथुन महतो, पिता–नवल महतो को खाता संख्या–58, प्लॉट संख्या–88, रकवा–0.11 एकड़ तथा केवाला संख्या–4836, दिनांक–31.10.1988 द्वारा खाता संख्या–58, प्लॉट संख्या–88, रकवा–0.11 एकड़ वो प्लॉट संख्या–162, रकवा–0.08 एकड़ वो प्लॉट संख्या–272, रकवा–0.06 1/2 एकड़ वो

प्लॉट संख्या–344, रकवा–0.05 एकड़ वो प्लॉट संख्या–256, रकवा–0.12 एकड़ कुल रकवा–0.42 1/2 एकड़ प्राप्त है। विक्रेता के रूप में रामलखन सिंह, पिता–सदाशिव सिंह तथा दुसरे केवाला में मुंगेश्वर सिंह, पिता–जगमोहन सिंह साकिन–डाटम दर्ज है। वर्तमान समय में इस भूमि की जमाबंदी ऑनलाईन पंजी 2 में 62/2 पर तथा 63/2 पर नथुन महतो, पिता–नवल महतो के नाम से कायम है।'' इस भूमि की जमाबंदी ऑनलाईन पंजी 2 में 62/2 पर तथा 63/2 पर नथुन महतो, पिता–नवल महतो के नाम से किस जमाबंदी से घटाकर लाया गया है, यह स्पष्ट नहीं हैं।

अतः अंचल अधिकारी, हण्टरगंज को आदेश दिया जाता है कि अभिलेख संधारण करते हुए इस वाद से संबंधित खाता संख्या–05 एवं 14 तथा 58 से संबंधित आवश्यक सभी राजस्व कागजातों तथा सरकार के द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश/निदेश/संकल्प आदि का अवलोकन एवं स्थल जॉच करते हुए संबंधित पक्षों को सुनवाई हेतु सम्पूर्ण अवसर देते हुए नियमसंगत/विधिसंगत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, हण्टरगंज को भेंजे।

वाद की प्रकिया समाप्त की जाती है।

(लेखापित एवं संशोधित)

07/07/2022 | 07/07/2022
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, | भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा। | चतरा।

Digitally signed by SURENDRA ORAON
Date: 2024.07.02 01:34:40 -07:00
Location: 2409:40e4:1056:4265:8caa:c00f:a89d:a4b9